न्याय निर्णयन अधिकारी एंव अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी– श्री ओ0पी0 बिश्नोई आर.ए.एस.

परिवाद संख्या 34/2015

प्रार्थी		**अप्रार्थी**
भूराराम गोदारा खाध सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी,बाड़मेर	**बनाम्**	गंगाराम पुत्र दौलाराम जाति जाट (भूकर) निवासी दानजी की होदी बाड़मेर

परिवाद अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (II) खाध सुरक्षा एंव मानक अधिनियम, 2006 व नियम 2011

उपस्थित:–1. सहायक लोक अभियोजक प्रथम बाड़मेर प्रार्थी की ओर से ।
2. श्री तरूण व्यास एडवोकेट अप्रार्थी की ओर से।

निर्णय दिनांक 4.7.2016

1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 6.8.2015 को प्रातः 10.30 बजे प्रार्थी खाध सुरक्षा अधिकारी दौराने गश्त जरिये सरकारी वाहन चौहटन चौराहा के पास पहुॅचने पर वाहन संख्या आरजे 04 जीबी 1175 में दूध (मिक्स) भरा हुआ पाया गया। उक्त वाहन में चालक की सीट पर एक व्यक्ति बैठा हुआ था, जिसका पता पूछने पर अपना नाम गंगाराम पुत्र दौलाराम जाति जाट (भूंकर) निवासी दानजी की होदी बाड़मेर (दूध मालिक) बताया। रूबरू मौतबिरान की उपस्थिति में उक्त वाहन का निरीक्षण करने पर वाहन में 50–50 लीटर के तीन केनों में दूध (मिक्स) भरा हुआ पाया। दूध में मिलावट का सन्देह होने पर उक्त दूध में से दो लीटर दूध नपवा कर चार कांच की साफ सुखी व खाली शिशियॉ में बराबर मात्रा में भरा गया, जिसका भुगतान मालिक विक्रेता को 70/– रूपये किया गया। तत्पश्चात् समस्त आवश्यक कार्यवाही करने के बाद दूध का नमूना पी.552 जॉच हेतु खाध सुरक्षा लैब जोधपुर को भिजवाया गया। उक्त पेय पदार्थ दूध (मिक्स) की जॉच रिपोर्ट खाद्य सुरक्षा लेब जोधपुर के क्रमांक एलएस/583/एक्ट /2015/582 दिनांक 13.8.2015 से प्राप्त प्राप्त हुई, जिसमें दूध का नमूना पी–552 निर्धारित मानक कोटि का नहीं होने से अवमानक स्तर का पाया गया। प्रकरण में अप्रार्थी द्वारा पेय पदार्थ दूध (मिक्स) का विक्रय करके खाध सुरक्षा एंव मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा

न्याय निर्णयन अधिकारी एव
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

2 (ii) का उल्लंघन करना पाये जाने के आधार पर प्रार्थी खाध सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने हेतु यह परिवाद पेश किया है। खाध सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ गजट नोटिफिकेशन की प्रति,कार्यक्षेत्र का नोटिफिकेशन एंव संशोधित नोटिफिकेशन की प्रति,फार्म नम्बर 5 ए,नमूना खरीद रसीद, मौका फर्द, नमूना पी.552 जॉच रिपोर्ट अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली पेश करने हेतु आवेदन, फाईल करने बाबत लिखा गया पत्र की प्रति प्रस्तुत की गयी।

2. परिवाद प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को कारण बताओ नोटिस जारी किया। अप्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर लोक अदालत की भावना से जुर्म स्वीकार करते हुए कम से कम जुर्माना आरोपित कर प्रकरण निस्तारण करने का निवेदन किया।

3. अतः उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अप्रार्थी गंगाराम द्वारा खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (II) के तहत निर्धारित मानक कोटि का नहीं होने सें अवमानक स्तर (Sub Standard) का दूध रखने एवं बेचने का दोषी है। जिसके लिये उपरोक्त अधिनियम की धारा 51 में अवमानक पदार्थ पाये जाने पर शास्ति आरोपित किये जाने का प्रावधान किया गया है। अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (II) का उल्लंघन करने एवं अपराध कारित होने के फलस्वरूप लोक अदालत की भावना को ध्यान में रखते हुए उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत अप्रार्थी गंगाराम पर 5000/-(अक्षरे रूपये पांच हजार मात्र) शास्ति आरोपित की जाती है। उपरोक्त शास्ति की राशि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर के नाम डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय तारीख 4.7.2016 से एक माह के अंदर-अंदर जमा कराकर रसीद प्राप्त करें।

(ओ0पी0बिश्नोई)
न्याय निर्णयन अधिकारी एंव
अति.जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

निर्णय आज तारीख 4.7.2016 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्याय निर्णयन अधिकारी एंव
अति. जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर